न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0 104/2014

उनवान

प्रभूलाल बनाम कैदार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

आदेश

दिनांक 03/03/2021

अधिवक्ता प्रतिवादी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया कि वादी ने वादपत्र इकरारनामा के आधार पर पेश किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि को 5,75,000/– रूपये में वादी को घासीदास ने दिनांक 29.05.2015 को बेचान करना बताया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–17 व 49 के तहत कोई भी अचल कृषि भूमि जिसकी मालियत 100/– रूपये अधिक हो उसे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि बेचान करना बताया है, जबकि कानूनन ऐसे इकरारनामे के आधार पर 100/– रूपये से अधिक की भूमि का विक्रय पत्र कानूनन अवैध है और साक्ष्य में ग्राह्य नही है। इकरारनामा के आधार पर दावा सक्षम सिविल न्यायालय में ही अनुबन्धपूर्ति का कोर्ट फीस के साथ दावा पेश होने पर चल सकता है तथा अनुबन्धपूर्ति के दावे के लिए ही इकरारनामा साक्ष्य में पढा जा सकता है। माननीय राजस्व न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किये गये दावे को सुनने का श्रवणाधिकार न होने से प्रथम स्टेज पर ही यह दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण को जेरकार, परेशान करने की बध्यन्ति से वादी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर दावा पेश किया है। दावा सव्यय खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में दौराने बहस नजीरे आरआरडी–1981 पेश किये।

अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पिता ने वादी को उक्त भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय कर दी थी तथा वचन दिया था कि शीघ्र रजिस्ट्री करवा देगा किन्तु उसकी मृत्यु हो गयी। वादी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर चुका है तथा मौके पर भी वादी का ही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे तथा दावा डिक्री फरमाया जावे।

हमने प्रार्थनापत्र पर विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एंव उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव नज़ीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर अप्रार्थी का विवेचन उपर किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव नज़ीरों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पक्षकारान के पिता के नाम खातेदार में दर्ज है। नियमानुसार खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम आवेगी। वादी ने जीस बैनामा नामे के आधार पर दावा पेश किया वह रजिस्टर्ड नहीं है तथा जब तक वादग्रस्त भूमि नियमानुसार वादी के नाम हस्तांतरित नहीं हो जाती कानूनी रूप से प्रतिवादीगण के उसके हकदार है भूमि पर वादी का कब्जा किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इस प्रकार वादी का वाद भारहीन एंव सारहीन हो गया है। इस कारण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इस स्तर पर ही खारिज किया जावे।

आदेश

फलतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03/03/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक